

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना जिला श्रीगंगानगर

स्वर्ण कौर बनाम मुख्तयारदास आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राज. काश्तकारी अधिनियम  
प्रकरण संख्या :- 2021 / 292 (S.C.M.S)

27.09.2021 आज यह पत्रावली प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वकील प्रार्थीगण श्री रामचन्द्र सिहाग के जरिये प्रस्तुत करने पर पेश हुई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करके अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करके पत्रावली दिनांक 18.10.2021 को पेश हो।


18.10.21

पत्रावली पेश / अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उप. / श्रीमान पी.डी. साहब अवकाश पर है / पत्रावली दिनांक 20.10.21 को पेश हो।

मुख्तयारदास

20.10.21

पत्रावली आज कैंप कोर्ट ग्रा.पं. 1300L में पेश / अप्रार्थी एवं अप्रार्थी स्वयं उप. / पक्षकारान की सहमति से तहसील रावला के प्लॉ 1400L-अ के प.नं. 14/27 सु.नं. 24 के प्लॉ नं. 4, 5 की भूमि 12 गुणा 93 फिट अर्थात् 0.910 हेक्टेयर रास्ता स्वीकृत किया जाता है। रास्ते की लफ्फ में अप्रार्थी अप्रार्थी को अपनी भूमि में से रास्ते की भूमि अपनी भूमि में तहसील रावला को आरेखित किया गया है कि इसी अनुसार आरेखित करें। पत्रावली पर तहसील तहसील को आरेखित किया हो। यह आदेश आज दिनांक 20.10.21 से

  
मुख्तयारदास

मैरे द्वारा ग्रा.पं. 1300L में सजाए गए प्लॉ में निवासा पर सुनाया गया।

अशिका का  
(R.A.S.)  
उपखंड अधिकारी  
घडसाना